

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फुर्व अहकाम

नं० 183/17 तारीख 27.11.17

उजवाज - गौरया वनाम जेा कलक्टर मोहनपुरा

दावा वाकत घोषणा खातेदारी तकास्मा एवं खायी
निषेधाजा च्या 88, 53, 188,

दी की ओरसे श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने
दावा वाकत तकास्मा, घोषणा खातेदारी व खायी निषेधाजा
अर्जत च्या 53, 88, 188, के तहत पेश किया। अग्रबन्दी
शापथ पत्र का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर
प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलाब कर दि
10/17 को पेश हो।

53/04/17
10-10/17

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

शेवकील उपस्थित प्रतिवादी नं० 1, 2 को तामिल हो चुकी है।
अदालत उपस्थित नहीं। अर्जत इनके किम्ह एक पक्षीप
वादी अमल में लायी जाती है। अन्य को तामिल प्राप्त नहीं हुई है।
स्तेइन्तजार तामिल दिनांक 2-11-17 को पेश हो।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

12
दादी वकील उप० प्रतिवादी नं० 1, 2, 3 के समान तलाबना
पेश कर / वास्ते तलाबी दि 27-11-17 को पेश हो।

11
दादी वकील उप० गतादुस्तर वाले तलाबी दि 28-12-17 को
पेश हो।

10
दादी वकील उप० समान तलाबना पेश कर / दि
18-1-18 को पेश हो।

मालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

० - वकील उभयपक्ष उपस्थित | वादी साक्ष्य पेश कले दिनांक 6.3.20 को पेश हो | प्रतिवादी वकील में दस्तावेज पेश किए जिससे वादी वकील में कोई रत राज दर्ज नहीं कर पाए | दस्तावेज शामिल किए | वादी साक्ष्य पेश कले दिनांक 6.3.20 को पेश हो |

20 वकील उभयपक्ष उप | वादी साक्ष्य पेश कले दिनांक 15.4.20 को पेश हो |

20 लोक डाकून व वार के नार्थ स्थान के कारण पत्रावली जनरल तारीख पेशी से पेश हुई | वकील उभयपक्ष उप | वादी वकील आगात्री सुनवाई लिखी गए वादी साक्ष्य पूर्ण कराये / दिनांक 16.9.20 को पेश हो |

वक्तुताय उप | वादी साक्ष्य पेश कले दि. 23.10.20 को पेश हो |

3.10.20 वादी वकील उपस्थित | वादी वकील में कथन किया कि वादी गोरपा फौज हो चुका की अन्य कोई वादी नहीं है इसलिए यह मुकदमा आगे नहीं चलना चाहिए अतः यह दावा अवेट हो गया की वादी वकील के कथन अनुसार वादी फौज हो जौन एवं अन्य कोई वादी नहीं होने से यह दावा अवेट की श्रेणी में है अतः यह दावा खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुभार होकर नम्बर से कम होक दाखिल दफत हो |

वादी फौज
3/10/20
23.10.20